[2021] 7 एस.सी.आर. 1024

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड

बनाम्

श्री अनिल कोहली, समाधान पेशेवर, डुनार फूड्स लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 6187/2019)

14 सितंबर, 2021

[न्यायमूर्तिगण एम. आर. शाह और अनिरुद्ध बोस]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 – धारा 61 (2)–अपील और अपीलीय प्राधिकरण–सार्वजनिक घोषणा के जवाब में अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) द्वारा निगमित देनदार के लेनदारों से दावे आमंत्रित करते हुए, अपीलार्थी ने रु. 673.85 करोड़ का दावा पेश किया–आई. आर. पी. ने अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया। इस आधार पर कि अपीलार्थी और निगमित देनदार के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी और निगमित देनदार द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में कोई गारंटी पत्र जारी नहीं किया गया था–अपीलार्थी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन.सी.एल.टी.) के समक्ष अस्वीकृति को चुनौती दी–एन.सी.एल.ए.टी. ने अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पास 30 दिनों से 15 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और अपील को सीमा द्वारा वर्जित किया गया है–अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः आई.बी.संहिता की धारा 61 (2) के अनुसार, अपील को 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर करने की आवश्यकता होती है–अपीलीय न्यायाधिकरण 30 दिनों की अवधि से आगे अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था, लेकिन ऐसी अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं होगी–इसलिए, एन.सी.एल.ए.टी. के समक्ष अपील को अधिकतम 45 दिनों (30 दिन + 15 दिन) की अवधि के भीतर दायर करने की आवश्यकता थी–

हालांकि, तत्काल मामले में कुल 45 दिनों की अवधि से परे 44 दिनों की देरी हुई थी–यह तय कानूनी स्थिति है कि परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून इस तरह निर्धारित करता है तो इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू करना पड़ता है– न्यायालय के पास अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

निर्धारितः– 1. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता ने एनसीएलएटी के समक्ष अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के समाधान पेशेवर के निर्णय की पुष्टि करने वाले निर्णय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6.3.2019 को पारित आदेश को चुनौती दी है। एनसीएलएटी के समक्ष की गई अपील आईबीसी की धारा 61(2) के तहत थी। आईबीसी की धारा 61(2) के अनुसार, अपील को तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। इसलिए, अपील दायर करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि 30 दिन थी। हालाँकि, संहिता की धारा 61(2) के प्रावधान के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपील दायर न करने के लिए पर्याप्त कारण थे। [अनुच्छेद 7] [1034–ए–डी]

2. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने भी 8.4.2019 को, यानी 34 दिनों की देरी के बाद, प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया था। इसलिए, निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति भी सीमा की निर्धारित अवधि से परे, यानी 30 दिनों से अधिक लागू की गई थी। आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलकर्ता को 11.04.2019 को प्राप्त हुई और एनसीएलएटी के समक्ष अपील 24.06.2019 को, यानी 44 दिनों की देरी के बाद दायर की गई। चूंकि अपीलीय अधिकरण केवल 15 दिनों की अवधि तक की देरी को माफ कर सकता है, अपीलीय अधिकरण ने उस देरी को माफ करने से इनकार कर दिया जो 30 दिनों के पूरा होने से 15 दिनों से अधिक थी, यानी, वर्तमान मामले में 44 दिनों की देरी और परिणामस्वरूप खारिज कर दिया गया निवेदन। इसलिए, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान अपीलीय अधिकरण ने 44 दिनों

की देरी को माफ न करने में कोई त्रुटि की है, जो कि 15 दिनों की देरी से अधिक थी जिसे आईबीसी की धारा 61 (2) के अनुसार माफ नहीं किया जा सकता है।[अनुच्छेद 7.1] [1034 एफ–एच; 1035–ए]

3. यह सच है कि किसी दिए गए मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां आवेदक/अपीलकर्ता अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की वैधानिक अवधि के भीतर और अपील की विस्तारित अधिकतम अवधि के भीतर भी अपील दायर करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण माफ किया जा सकता है। हालाँकि, क़ानून के तहत, संसद ने ऐसी स्थिति का कोई अपवाद नहीं बनाया है। इसलिए, जब तक कि संसद ने कानून के प्रावधान द्वारा कोई अपवाद नहीं बनाया है, सीमा की अवधि को प्रभावी करना होगा। ऐसी शक्तियाँ केवल संसद और विधानमंडल के पास हैं। अदालतों के पास कोई अपवाद तय करने का कोई क्षेत्राधिकार और/या अधिकार नहीं है। यदि अदालतें कोई अपवाद बनाती हैं, तो यह कानून बनाने जैसा होगा, जो स्वीकार्य नहीं है। [अनुच्छेद 9] [1036–सी–ई]

4. यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह ने भी, इस प्रकार, निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि आईबी कोड की धारा 61(2) पर विचार करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र या शक्ति है सीमा की वैधानिक अवधि, 30 दिनों के पूरा होने से 15 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने के लिए। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग में देरी को माफ करने का अनुरोध और प्रार्थना की है और प्रस्तुत किया है कि इसमें शामिल राशि बहुत बड़ी राशि है और अपीलकर्ता एक सार्वजनिक निकाय है। हमें डर है कि वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए जो सीधे नहीं किया जा सकता, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [अनुच्छेद 11] [1039–जी–एच; 1040–ए–बी]

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड बनाम् श्री अनिल कोहली, समाधान पेशेवर, डुनार फूड्स लिमिटेड

भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी, **(2001) 8 एस.सी.सी. 470: [2001] 3 सप्पली. एस.सी.आर. 619**; रोहिताश कुमार बनाम ओम प्रकाश शर्मा, **(2013) 11 एस.सी.सी. 451: [2012] 13 एस.सी.आर 47**; रघुनाथ राय बरेजा बनाम पंजाब नेशनल बैंक **(2007) 2 एस.सी.सी. 230: [2006] 10 सप्पली. एस.सी.आर 287**; तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम गुजरात **एस.सी. 1352: [2017] 2 एस.सी.आर. 922**; टेरी ओट एस्टेट (पी.) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश चंडीगढ़, **(2004) 2 एस.सी.सी. 130: [2003] 6 बनाम एस. सी. आर. 1235**–पर निर्भर।

चित्रा शर्मा बनाम भारत संघ, **(2018) 18 एस.सी.सी. 575: [2018] 12 एस.सी.आर. 1044**; जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, **(2020) 3 एस.सी.सी. 328: [2019] 14 एस.सी.आर. 312**; रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मैम्पी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड बनाम अनिल कोहली, रेसोल्यूशियो प्रोफेशनल फॉर डुनार फूड्स लिमिटेड टिम्बर्स एंड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, **(2021) 3 एससीसी 673**; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण निजी लिमिटेड, **(2020) 5 एससीसी 757; सी. एम. डी./अध्यक्ष**, भारत संचार निगम सीमित बनाम मिश्री लाल **(2011) 14 एस.सी.सी. 739 [2011] 5 एस.सी.आर. 317**; पोपट बहिरू गोवर्धन बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, **(2013) 10 एस.सी.सी. 765: [2013] 8 एस.सी.आर. 241**; द मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम निगम कलकत्ता, **ए.आई.आर 1966 एस.सी.529: [1966] एस.सी.आर. 543**; मर्चेंट बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी **(2002) 6 एस. सी. सी. 635: [2002] 1 सप्पली. एस. सी. आर. 469**–संदर्भित।

प्रकरण संदर्भ

[2018] 12 एस.सी.आर 1044	का अनुच्छेद 5.4	संदर्भित किया गया है
[2019] 14 एस.सी.आर 312	का अनुच्छेद 5.4	संदर्भित किया गया है
[2012] 13 एस.सी.आर 47	का अनुच्छेद 6.3	संदर्भित किया गया है
[2011] 5 एस.सी.आर 317	का अनुच्छेद 6.3	संदर्भित किया गया है
[2001] 3 सप्पली. एस.सी.आर 619	का अनुच्छेद 6.3	संदर्भित किया गया है
[2006] 10 सप्पली. एस.सी.आर 287	का अनुच्छेद 6.3	संदर्भित किया गया है
[2013] 8 एस.सी.आर 241	का अनुच्छेद 6.3	संदर्भित किया गया है
[1966] एस.सी.आर 543	का अनुच्छेद 6.3	संदर्भित किया गया है
[2017] 2 एस.सी.आर 922	का अनुच्छेद 6.5	संदर्भित किया गया है
[2002] 1 सप्पली. एस.सी.आर 469	का अनुच्छेद 8.1	संदर्भित किया गया है
[2003] 6 सप्पली. एस.सी.आर 1235	का अनुच्छेद 11.2	संदर्भित किया गया है

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड बनाम् श्री अनिल कोहली, समाधान पेशेवर, डुनार फूड्स लिमिटेड

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील क्र. 6/2019

राष्ट्रीयता कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण,नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांकित 05.07.2019 क. आ. (दिवाला) 2019 की सं. 683/2019, से

अपीलार्थी के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह, रंजन कुमार पांडे, संदीप बीश्ट।

प्रतिवादी के ओर से अभिषेक, मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी, पथिक चौधरी।

न्यायालय का निर्णय **एम. आर. शाह, न्या.** द्वारा दिया गया था–

1. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (इसके बाद 'रा.कं.वि.अ.अ.' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 05.07.2019 के विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, कंपनी अपील में नई दिल्ली (ए.टी.)(दिवाला) 2019 की संख्या 683, जिसके द्वारा रा.कं.वि.अ.अ. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (इसके बाद 'एनसीएलटी' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दर्ज करने में 44 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया है, इसमें अपीलार्थी के दावे को खारिज करते हुए, अपीलार्थी–नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड ने वर्तमान अपील दर्ज।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार है–

भारतीय स्टेट बैंक ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद 'आई. बी. सी.' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के तहत रा.कं.वि.अ. के समक्ष दिवाला कार्यवाही डुनार फूड्स लिमिटेड (इसके बाद कॉर्पोरेट देनदार के रूप में संदर्भित) के खिलाफ इस आधार पर शुरू कि कॉर्पोरेट देनदार ने अपीलकर्ता– नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के गोदामों में रखी वस्तुओं को बंधक बनाकर क्रेडिट सीमा ले ली थी। एनसीएलटी ने याचिका स्वीकार कर ली और आईबीसी के प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर दी। अंतरिम समाधान पेशेवर (संक्षेप में, 'आईआरपी') नियुक्त किया गया था। आईआरपी ने कॉर्पोरेट देनदार – डुनार फूड्स लिमिटेड के लेनदारों से 17.01.2018 को या उससे पहले दावे आमंत्रित किए; अपीलकर्ता ने यहां

अपना दावा प्रस्तुत किया और आईबीसी के फॉर्म 'एफ' के अनुसार आईआरपी को कूरियर के माध्यम से अपना दावा भी भेज दिया। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता ने पहले एक पीडी एग्रो प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी सूट दायर किया था। लिमिटेड (इसके बाद 'पीडी एग्रो' के रूप में संदर्भित) और कॉर्पोरेट देनदार बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 का वाणिज्यिक मुकदमा संख्या 11 है। उच्च न्यायालय ने 2014 के सीएस नंबर 328 में 2014 के मोशन 807 के नोटिस में दिनांक 11.04.2014 के आदेश के तहत पीडी एग्रो और कॉर्पोरेट देनदार को निपटान, अलगाव, अतिक्रमण, कब्जे से अलग होने और/या अन्यथा तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया। इसकी चल/अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों के संबंध में; 2013 की एक एफआईआर संख्या 216 भी पीडी एग्रो के खिलाफ दर्ज की गई थी और बाद में इसे आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था; महाराष्ट्र निवेशक हित संरक्षण अधिनियम (एमपीआईडी), 1999 के प्रावधान भी लागू किए गए थे; अपीलकर्ता की ओर से यह मामला है कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से पता चला है कि पीडी एग्रो ने वर्ष 2011–12 के दौरान 455 करोड़ रुपये और रुपये की हेराफेरी की है। वर्ष 2012–13 के दौरान कॉर्पोरेट देनदार को 289 करोड़ रुपये; बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2014 के वाणिज्यिक सूट नंबर 11 में पीडी एग्रो के खिलाफ कार्रवाई/डिफॉल्ट की तारीख से 9% ब्याज के साथ 633,66,98,350.40 रुपये का डिक्री पारित किया। उपरोक्त पर इसके बाद विचार किया जाएगा।

2.1 आईआरपी द्वारा कॉर्पोरेट देनदार (डुनार फूड्स लिमिटेड) के लेनदारों से दावे दिनांक 6.1.2018 को आमंत्रित करने की सार्वजनिक घोषणा के जवाब में, अपीलकर्ता ने 673.85 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता की ओर से यह मामला था कि पीडी एग्रो के खिलाफ 633,66,98,350.40 रुपये की राशि के लिए डिक्री पारित की गई थी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि 744 करोड़ रुपये पीडी एग्रो द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को दिए गए हैं। आईआरपी ने 18.06.2018 को अपीलकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता और कॉर्पोरेट देनदार के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में कोई पत्र या गारंटी जारी नहीं की गई है। आईआरपी द्वारा दावे की अस्वीकृति को

अपीलकर्ता द्वारा एनसीएलटी के समक्ष 2018 के विविध आवेदन संख्या 603 के रूप में चुनौती दी गई और एनसीएलटी ने दिनांक 6.3.2019 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और एक ऋणदाता के रूप में अपीलकर्ता के दावे को की शामिल नहीं करने के आईआरपी के फैसले को बरकरार रखा।

3. एनसीएलटी द्वारा दिनांक 6.3.2019 को पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता ने एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर की। उक्त अपील को दर्ज करने में 44 दिनों की देरी हुई। एनसीएलएटी के समक्ष अपील अधिकतम 45 दिनों (30 दिन + 15 दिन) की अवधि के भीतर दायर की जानी थी। हालाँकि, कुल 45 दिनों की अवधि से और 44 दिनों की देरी हुई। इसलिए, आईबीसी की धारा 61 की उप–धारा (2) पर विचार करते हुए, जो अपीलीय अधिकरण को केवल 15 दिनों की देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसे पर्याप्त कारण होने पर 30 दिनों की अवधि में माफ कर सकता है, आक्षेपित आदेश के अनुसार, विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पास 15 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने का कोई अधिकार–क्षेत्र नहीं है और इस प्रकार अपील परिसीमा से बाधित है।

4. परिसीमा के आधार पर अपील को खारिज करने और 15 दिनों की अवधि से अधिक की देरी को माफ करने से इनकार करने के विद्वान एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण माफ कर सकता था, अपीलकर्ता – नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित हुए हैं और श्री अभिषेक, विद्वान अधिवक्ता आईआरपी की ओर से उपस्थित हुए हैं।

5.1. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह ने कथन किया है कि यद्यपि विद्वान अपीलीय अधिकरण द्वारा परिसीमा के आधार पर अपील को खारिज करना उचित हो सकता है, क्योंकि अपीलीय न्यायाधिकरण के पास 15 दिनों से अधिक की देरी को माफ

करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है किन्तु मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की प्रार्थना की जाती है।

5.2. यह कथन किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच करने पर, यह पता चला है कि पीडी एग्रो, जो कॉर्पोरेट देनदार की सहयोगी कंपनी थी, ने 744 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है। यह कथन किया गया है कि पीडी एग्रो के साथ–साथ कॉर्पोरेट देनदार का एक सामान्य प्रबंधन/निदेशक था। यह कथन किया गया है कि कॉर्पोरेट देनदार और पीडी एग्रो दोनों सहयोगी संस्थाएं हैं और उनका प्रबंधन एक ही है। डुनार फूड्स लिमिटेड पीडी एग्रो की एक प्रमुख इकाई है और अपीलकर्ता के मंच पर निष्पादित ट्रेडों से पीडी एग्रो द्वारा प्राप्त धन का मुख्य लाभार्थी है। यह कथन किया गया है कि श्री रंजीव अग्रवाल और सुश्री शीतल गुप्ता पीडी एग्रो के निदेशक और शेयरधारक हैं। श्री रंजीव अग्रवाल कॉर्पोरेट देनदार के सीएफओ भी थे और सुश्री शीतल गुप्ता श्री सुरेंद्र गुप्ता की पत्नी हैं। यह कथन किया गया है कि श्री सुरेंद्र गुप्ता कॉर्पोरेट देनदार के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष धारा 50 पीएमएलए के तहत दिए गए अपने बयान में श्री सुरेंद्र गुप्ता ने भी पुष्टि की है कि वह पीडी एग्रो के मामलों का प्रबंधन कर रहे थे और पीडी एग्रो डुनार फूड्स लिमिटेड का शेयरधारक है, जिसके पास 8.25% शेयर हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए पीडी एग्रो और कॉर्पोरेट देनदार – डुनार फूड्स लिमिटेड के प्रबंधन और निदेशकों ने धोखाधड़ी की।

5.3. यह कथन किया गया है कि पीडी एग्रो ने भी स्वीकार किया है कि दिनांक 01.08.2013 के पत्र के माध्यम से अपनी देनदारी स्वीकार करने के बावजूद पीडी एग्रो ने अपनी देनदारी के लिए 693 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है और उक्त पत्र में 20 सप्ताह में अपना बकाया चुकाने का आश्वासन दिया था। यह कथन किया गया है कि जांच के दौरान यह पता चला है कि कॉर्पोरेट देनदार ने पीडी एग्रो को अपने मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया और पैसे निकाल लिए। आगे यह भी कहा गया है कि पीडी एग्रो के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा भी एक डिक्री पारित की गई है। यह कथन किया गया है कि इसलिए जब जांच के दौरान यह पता चला कि पीडी एग्रो ने 744 करोड़ रुपये की हेराफेरी की, आईआरपी को कॉर्पोरेट अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट वेल को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के दावे को स्वीकार करना चाहिए था। यह कथन किया गया है कि एनसीएलटी ने भी

उपरोक्त पर उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है और कॉर्पोरेट अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट वेल को ध्यान नहीं रखा है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना चाहिए था।

5.4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए मामले के उपरोक्त अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां रुपये की बड़ी राशि 693 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो यहां अपीलकर्ता को देय है, जिसे एक सार्वजनिक निकाय कहा जा सकता है एवं जिसने एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिसने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धारा के तहत छूट दिए जाने के बाद अपना परिचालन शुरू किया, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम,1952 के धारा 27 में वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए एक दिवसीय अग्रिम संविदा शुरू करने की बात कही गई है और इसलिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनसीएलएटी के समक्ष अपील दर्ज करने की देरी को माफ करने की प्रार्थना की। *चित्रा शर्मा बनाम भारत संघ, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,*[ii] *में रिपोर्ट किया गया; और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मम्पी टिम्बर्स एंड हार्डवेयर्स प्राइवेटल लिमिटेड,*[iii] में रिपोर्ट किए गए आईबीसी के तहत निर्धारित समय से अधिक देरी को माफ करने की प्रार्थना के समर्थन में भारत के संविधान की अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनसीएलएटी के समक्ष अपील दर्ज करने की देरी में 44 दिनों की देरी माफ की।

6. कॉर्पोरेट देनदार के लिए आईआरपी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया है। यह कथन किया गया है कि संहिता की धारा 61(2) अपील में देरी को माफ करने के लिए अपीलीय अधिकरण को शक्ति प्रदान करती है। यह कथन किया गया है कि पर्याप्त कारण होने पर अपीलीय अधिकरण 30 दिनों की अवधि में केवल 15 दिनों की देरी को माफ कर सकता है। यह कथन किया गया है कि 15 दिनों की अवधि से अधिक, 30 दिनों की अवधि में, अपीलीय अधिकरण के पास देरी को माफ करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह कथन किया गया है कि इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस आधार पर अपील को सही और सही

तरीके से खारिज कर दिया है कि उसके पास वर्तमान मामले में, 30 दिनों की अवधि में, 15 दिनों की अवधि से अधिक की देरी को माफ करने की शक्ति नहीं है हस्तगत मामलें में– 44 दिनों की देरी।

6.1. यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि *भारत संघ बनाम पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी,*[iv] के मामले में, इस न्यायालय द्वारा माना गया था– जहां विधायिका ने अपील के उद्देश्य और सीमा की अवधि के लिए एक विशेष सीमा निर्धारित की थी एनं परिसीमा अधिनियम की धारा 4, 5 और 12 की सहायता लेने के बाद 60 दिनों की गणना की जानी थी तब इन धाराओं के विशिष्ट समावेशन का मतलब था कि उस सीमा तक केवल परिसीमा अधिनियम के प्रावधान विस्तारित थे और अन्य प्रावधानों की प्रयोज्यता, आवश्यक निहितार्थ से बाहर हैं।

6.2 आईआरपी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि क़ानून सीमा की अवधि प्रदान करता है और एक विशेष अवधि तक देरी को माफ कर देता है और क़ानून विशेष रूप से प्रदान करता है कि एक विशेष अवधि से परे, देरी को माफ नहीं किया जा सकता है, उसी का पालन करना होगा। *न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड ,*[v] के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भारी निर्भरता रखी गई है।

6.3. आईआरपी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा है कि संसद के आदेश को प्रभावी न करने के लिए कठिनाई कोई आधार नहीं है और यह कानून न्यायसंगत विचारों पर हावी है। इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर अधार दिया गया है, *रोहिताश कुमार बनाम ओम प्रकाश शर्मा,*[vi] *(पैरा 23 से 26); सीएमडी/अध्यक्ष, भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम मिश्री लाल,*[vii] *(पैरा 20); रघुनाथ राय बरेजा बनाम पंजाब नेशनल बैंक,*[viii] *(पैरा 29 से 37); पोपट बहिरू गोवर्धने बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी,*[ix] *(पैरा 16); और द मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम द कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता*[x].

6.4. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों और क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों, अर्थात् संहिता की धारा 61 की उप–धारा (2) पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। 30 दिनों की अवधि में 15 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण ने क़ानून के प्रावधानों के अनुरूप कार्य किया है और वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन किया है।

6.5. अब जहां तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क़ानून के तहत निर्धारित अवधि से परे देरी को माफ करने के लिए अपीलकर्ता की ओर से प्रार्थना का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और माना गया है *ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मामला*[xi], जहां क़ानून आदेश देता है कि न्यायालय एक विशेष दिन से अधिक देरी को माफ नहीं करेगी, यह कानून के प्रावधानों और नीति के दायरे और इसलिए यह अक्षम्य है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए भी माफ नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो सीधे क़ानून के तहत नहीं किया जा सकता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6.6. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि योग्यता के आधार पर भी, अपीलकर्ता को कॉर्पोरेट देनदार – डुनार फूड्स लिमिटेड का लेनदार नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह ध्यान रखना उचित है कि यदि अपीलकर्ता द्वारा दायर फॉर्म 'एफ' दिनांक 17.01.2018 और सहायक दस्तावेजों का अवलोकन किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पीडी एग्रो पर 673.85 करोड़ रुपये की सीमा तक दावा दायर किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता ने कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ अपना दावा इस आधार पर दायर किया है कि पीडी एग्रो द्वारा कॉर्पोरेट देनदार सहित विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर धोखाधड़ी/घोटाला किया गया है और इसलिए पीडी एग्रो द्वारा देय कथित 673.85 करोड़ रुपये का भुगतान कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि 2014 के वाणिज्यिक सूट नंबर 11/2014 में पारित डिक्री भी केवल पीडी एग्रो के खिलाफ पारित

की गई है, न कि कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है, अपीलकर्ता कॉर्पोरेट देनदार का लेनदार नहीं है और इसलिए आईआरपी ने अपीलकर्ता के दावे पर उचित रूप से विचार नहीं किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद भी समाधान पेशेवर को एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया गया है – निर्णायक प्राधिकारी और अपीलकर्ता ने एनसीएलएटी के समक्ष 2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 424 में अनुमोदित समाधान योजना पर पहले ही हमला कर दिया है।

6.7. उपरोक्त दलीलें देते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है।

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता ने एनसीएलएटी के समक्ष अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के समाधान पेशेवर के निर्णय की पुष्टि करने वाले निर्णय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6.3.2019 को पारित आदेश को चुनौती दी है। एनसीएलएटी के समक्ष की गई अपील आईबीसी की धारा 61(2) के तहत थी। आईबीसी की धारा 61(2) के अनुसार, अपील को तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। इसलिए, अपील दायर करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि 30 दिन थी। हालाँकि, संहिता की धारा 61(2) के प्रावधान के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपील दायर न करने के लिए पर्याप्त कारण थे। लेकिन ऐसी अवधि 15 दिन से अधिक नहीं होगी। जैसा कि आईबी कोड की धारा 61(2) के तहत माना गया है, अपीलीय न्यायाधिकरण के पास 30 दिनों की अवधि से 15 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। आईबी कोड की धारा 61(2) इस प्रकार है:

> "धारा 61 उप–धारा (2) के तहत – प्रत्येक अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष तीस दिनों के भीतर दायर की जाएगी:

बशर्ते कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण था, लेकिन ऐसी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी।"

7.1. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने भी 8.4.2019 को, यानी 34 दिनों की देरी के बाद, प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया था। इसलिए, निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति भी सीमा की निर्धारित अवधि से परे, यानी 30 दिनों से अधिक लागू की गई थी। आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलकर्ता को 11.04.2019 को प्राप्त हुई और एनसीएलएटी के समक्ष अपील 24.06.2019 को, यानी 44 दिनों की देरी के बाद दायर की गई। चूंकि अपीलीय अधिकरण केवल 15 दिनों की अवधि तक की देरी को माफ कर सकता है, अपीलीय अधिकरण ने उस देरी को माफ करने से इनकार कर दिया जो 30 दिनों के पूरा होने से 15 दिनों से अधिक थी, यानी, वर्तमान मामले में 44 दिनों की देरी और परिणामस्वरूप खारिज कर दिया गया निवेदन। इसलिए, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान अपीलीय अधिकरण ने 44 दिनों की देरी को माफ न करने में कोई त्रुटि की है, जो कि 15 दिनों की देरी से अधिक थी जिसे आईबीसी की धारा 61 (2) के अनुसार माफ नहीं किया जा सकता है।

8. पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी (उप्पर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 पर विचार करते समय, जिसमें प्रावधान किया गया था कि पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन तीन महीने के बाद नहीं किया जा सकता है और इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को पर्याप्त कारण से ऐसा करने से रोका गया था तब परिसीमा अधिनियम की धारा 29 (2) पर विचार करने के बाद और यह देखने के बाद कि "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 विषेश अधिनियम है, तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34, सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से भिन्न अवधि का प्रावधान करती है, अंततः इस न्यायालय ने माना कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होगी और जैसा कि विधायिका ने निर्धारित किया है अपील के उद्देश्य के लिए एक विशेष सीमा

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 11 और 12 में, इसे निम्नानुसार देखा और रखा गया है:–

"11. इस प्रकार, जहां विधायिका ने अपील के उद्देश्य के लिए एक विशेष सीमा निर्धारित की थी और परिसीमा अधिनियम की धारा 4, 5 और 12 की सहायता लेने के बाद 60 दिनों की सीमा अवधि की गणना की जानी थी, इन धाराओं के विशिष्ट समावेशन का मतलब था उस सीमा तक केवल परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाया गया और अन्य प्रावधानों की प्रयोज्यता, आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखी गई।

12. जहां तक 1996 अधिनियम की धारा 34 की भाषा का सवाल है, उप–धारा (3) के परंतुक में महत्वपूर्ण शब्द "लेकिन उसके बाद नहीं" का उपयोग किया गया है। हमारी राय में, यह वाक्यांश सीमा अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थ में एक स्पष्ट बहिष्करण होगा, और इसलिए उस अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पर रोक लगाएगा। संसद को आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी. यह मानने के लिए कि अदालत प्रावधान के तहत विस्तारित अवधि से परे पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकती है, "लेकिन उसके बाद नहीं" वाक्यांश को पूरी तरह से निरर्थक बना देगा। व्याख्या का कोई भी सिद्धांत ऐसे परिणाम को उचित नहीं ठहराएगा।"

8.1. हिल्ली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड (*उप्पर*) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। संविधान पीठ के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या जिला फोरम के पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13(2)(अ) के तहत परिकल्पित 30 दिनों के अलावा, शिकायत पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समय को 15 दिनों की अवधि से आगे बढ़ाने की शक्ति है? *जे.जे. मर्चेंट बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी*[xii], के मामले में इस न्यायालय के फैसले को मंजूरी देने के बाद और इस बिंदु पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, संविधान पीठ ने अंततः निष्कर्ष निकाला है कि "जिला फोरम के पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13(2)(ए) के तहत परिकल्पित 30 दिनों के अलावा, 15 दिनों की अवधि से अधिक समय में शिकायत का जवाब दाखिल करने का समय बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र और/या शक्ति नहीं है।"

9. यह सच है कि किसी दिए गए मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां आवेदक/अपीलकर्ता अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की वैधानिक अवधि के भीतर और अपील की विस्तारित अधिकतम अवधि के भीतर भी अपील दायर करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण माफ किया जा सकता है। हालाँकि, क़ानून के तहत, संसद ने ऐसी स्थिति का कोई अपवाद नहीं बनाया है। इसलिए, जब तक कि संसद ने कानून के प्रावधान द्वारा कोई अपवाद नहीं बनाया है, सीमा की अवधि को प्रभावी करना होगा। ऐसी शक्तियाँ केवल संसद और विधानमंडल के पास हैं। अदालतों के पास कोई अपवाद तय करने का कोई क्षेत्राधिकार और/या अधिकार नहीं है। यदि अदालतें कोई अपवाद बनाती हैं, तो यह कानून बनाने जैसा होगा, जो स्वीकार्य नहीं है।

10. रोहिताश कुमार (*उप्पर*) के मामले में, इस अदालत ने निम्नानुसार टिप्पणी की और कहा: –

> 23. वैधानिक प्रावधान हो सकता है, जो संबंधित पक्ष या किसी व्यक्ति को बड़ी कठिनाई या असुविधा का कारण बनता है, लेकिन न्यायालय के पास इसे पूरी कठोरता से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि कठिनाई या असुविधा के कारण विधायिका द्वारा प्रयुक्त भाषा के अर्थ को बदलने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा अर्थ क़ानून के मात्र अवलोकन पर स्पष्ट है। यदि भाषा सरल है और इसलिए केवल एक ही अर्थ की अनुमति देती है, तो उसी को प्रभाव देना होगा, भले ही इससे कठिनाई या संभावित अन्याय हो। *(कृषि आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम केशव चंद्र मंडल*[xiii]*; और डी. डी. जोशी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*[xiv]*)*
>
> 24. *बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य*[xv]*,* मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा था कि, यदि कोई कठिनाई है, तो कानून में संशोधन करना विधायिका का काम है, और ऐसी कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से व्याख्या के मुख्य नियम को त्यागने के लिए न्यायालय से यह नहीं कहा जा सकता है। यदि किसी अधिनियम की भाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट है, तो न्यायालय को उसे प्रभावी बनाना होगा, भले ही परिणाम असमान या

अन्यायपूर्ण हो। *'ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स'* जिसका अर्थ है "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", स्थिति को सारांशित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, भले ही कोई वैधानिक प्रावधान कुछ लोगों के लिए कठिनाई का कारण बनता हो, लेकिन कानून में संशोधन करना न्यायालय का काम नहीं है। किसी कानूनी अधिनियम की व्याख्या उसके स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ में की जानी चाहिए, क्योंकि यह व्याख्या का पहला सिद्धांत है।

25. *मैसूर राज्य बिजली बोर्ड बनाम बैंगलोर वूलन, कॉटन एंड सिल्क मिल्स लिमिटेड और अन्य*[xvi], में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना कि, किसी क़ानून की व्याख्या करते समय "असुविधा" एक निर्णायक कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। *मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम कलकत्ता निगम*[xvii] में, इस न्यायालय ने इसी मुद्दे से निपटते हुए निम्नानुसार कहा: –

"वैधानिक प्रावधान से उत्पन्न परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है। किसी न्यायालय के पास उस प्रावधान को नज़रअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है, जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न संकट मानता है। क़ानून लागू किया जाना चाहिए, चाहे किसी न्यायालय को परिणाम पसंद है या नहीं। (यह भी देखें: *आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल I, कलकत्ता बनाम मेसर्स वेजीटेबल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड*[xviii]*; और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और अन्य*[xix] .

26. इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को हुई कठिनाई, प्रावधान के प्रत्येक शब्द को प्रभावी और व्याकरणिक अर्थ न देने का आधार नहीं हो सकती है, यदि उसमें प्रयुक्त भाषा असंदिग्ध है।"

10.1 मिश्री लाल और अन्य (*उप्पर*) के मामले में, यह देखा गया है कि यदि कोई संघर्ष होता है तो कानून समानता पर हावी होता है। आगे यह देखा गया है कि *इक्विटी* केवल कानून की पूरक हो सकती है, उसका स्थानापन्न नहीं।

10.2 *रघुनाथ राय बरेजा (उप्पर)* के मामले में, खण्ह 30 से 37 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की और कहा: –

30. इस प्रकार, *मदमांची रामप्पा और अन्य बनाम मुथलुरु बोज्जप्पा*[xx], इस न्यायालय ने कहा *(पैरा 12 के माध्यम से)*:

> "न्यायालयों में जो प्रशासित किया जाता है वह कानून के अनुसार न्याय है, और निष्पक्ष और समानता के विचार चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों, उन्हें कानून के प्रावधानों को स्पष्ट और व्यक्त करना चाहिए"

31. *काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बनाम ईशा मित्तल एवं अन्य*[xxi], (पैरा 4 के माध्यम से) में इस न्यायालय ने कहा:

> "समानता के विचार प्रबल नहीं हो सकते हैं और उच्च न्यायालय को कानून के विपरीत आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देते हैं।"

32. इसी प्रकार *पी.एम. लता और अन्य. बनाम केरल राज्य और अन्य*[xxii] *(पैरा 13 के अनुसार)* इस न्यायालय ने देखा:

> "13. इक्विटी और कानून जुड़वां भाई हैं और कानून को समान रूप से लागू और व्याख्या किया जाना चाहिए, लेकिन इक्विटी लिखित या स्थापित कानून को खत्म नहीं कर सकती है।"

33. *लक्ष्मीनारायण आर. भट्टड़ एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य*[xxiii] *(पैरा 73 के अनुसार)* इस न्यायालय ने देखा:

> "73. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जब कानून और समानता के बीच संघर्ष होता है तो कानून ही प्रबल होगा।"

34. इसी तरह *नसीरुद्दीन और अन्य बनाम सीता राम अग्रवाल,*[xxiv] *(पैरा 35 के अनुसार)* इस न्यायालय ने कहा:

"35. ऐसे मामले में जहां वैधानिक प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट है, अदालत केवल उससे उत्पन्न होने वाले कठोर परिणामों के कारण, उसकी अलग तरीके से व्याख्या नहीं करेगी।

35. इसी प्रकार *ई. पलानिसामी बनाम पलानिसामी (मृत) में वारिसान द्वारा एवं अन्य,*[xxv] *(पैरा 5 के माध्यम से)* इस न्यायालय ने देखा:

"जहां क़ानून में स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं वहां न्यायसंगत विचारों का कोई स्थान नहीं है"।

36. *इंडिया हाउस बनाम किशन एन. लालवानी,*[xxvi] *(पैरा 7 के अनुसार)* में इस न्यायालय ने माना कि:

"वैधानिक रूप से निर्धारित सीमा की अवधि का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और न्यायसंगत विचारों से इसमें छूट या छूट नहीं दी जा सकती है।"

37. वर्तमान मामले में, जबकि इक्विटी प्रतिवादी–बैंक के पक्ष में है, कानून अपीलकर्ता के पक्ष में है, क्योंकि हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश स्पष्ट रूप से आरडीबी अधिनियम की धारा 31 का उल्लंघन है, और इसके अलावा, आरडीबी अधिनियम की धारा 24 के साथ पढ़े गए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के मद्देनजर दावा समयबाधित है। हम यह टिप्पणी नहीं कर सकते कि यह बैंक ही है जो दोषी है क्योंकि 23.8.1990 को उसकी पहली निष्पादन याचिका खारिज होने के बाद उसे तुरंत दूसरी निष्पादन याचिका दायर करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उसने 1994 में ही दूसरी निष्पादन याचिका दायर की जो कि थी 18.8.1994 को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद, फिर से, बैंक ने 5 साल तक इंतजार किया और 1.4.1999 को उसने अपनी तीसरी निष्पादन याचिका दायर की। हम यह समझने में असफल हैं कि बैंक ने अपनी निष्पादन याचिकाएँ दायर करने में 1990 से 1994 तक और फिर 1994 से 1999 तक प्रतीक्षा क्यों की। इसलिए, यह बैंक ही है जो डिक्री को समय पर निष्पादित नहीं करने के लिए जिम्मेदार है।"

इस न्यायालय के समक्ष मामले में, बैंक द्वारा किया गया दावा कालातीत पाया गया और इस पर न्यायालय ने पाया कि हालांकि इक्विटी बैंक के पक्ष में है, कानून उधारकर्ता के पक्ष में नहीं है, हालाँकि, चूंकि दावा समयबाधित है, क्योंकि निष्पादन याचिका सीमा से बाधित थी, इस अदालत ने निष्पादन याचिका को वैसे ही रद्द कर दिया।

10.3. *पोपट बहिरू गोवर्धन और अन्य (उप्पर)* के मामले में, इस न्यायालय ने देखा और माना कि यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोरता से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे क़ानून के अनुसार पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर परिसीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। आगे यह देखा गया है कि वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष के लिए कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन न्यायालय के पास इसे पूर्ण प्रभाव देकर लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह ने भी, इस प्रकार, निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि आईबी कोड की धारा 61(2) पर विचार करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र या शक्ति है सीमा की वैधानिक अवधि, 30 दिनों के पूरा होने से 15 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने के लिए। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग में देरी को माफ करने का अनुरोध और प्रार्थना की है और प्रस्तुत किया है कि इसमें शामिल राशि बहुत बड़ी राशि है और अपीलकर्ता एक सार्वजनिक निकाय है। हमें डर है कि वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए जो सीधे नहीं किया जा सकता, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

11.1 इस स्तर पर, *तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (उप्पर)* के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करना आवश्यक है। इस न्यायालय के समक्ष, प्रश्न विद्युत अधिनियम की धारा 125 के तहत अपील दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी के संबंध में था और यह सवाल उठा कि क्या अपील दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी क्षमा योग्य है या नहीं। इस बिंदु

पर इस न्यायालय के विभिन्न पूर्व निर्णयों पर विचार करने और विद्युत अधिनियम की धारा 125 [2] में प्रयुक्त भाषा पर विचार करने के बाद, जिसमें प्रावधान है कि 120 दिनों से अधिक की देरी क्षमा योग्य नहीं है, इस न्यायालय ने देखा और माना कि यह क्षमा योग्य नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर भी इसे माफ नहीं किया जा सकता। पैरा–16 में ऐसा अवलोकन और धारण करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन और निर्णय लिया है: –

> 16. उपरोक्त निर्णयों से, यह स्पष्ट है कि *सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन*[xxvii] *(उप्पर)* में संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि *अंतुले*[xxviii] *के मामले में* या *प्रेम चंद गर्ग एवं अन्य बनाम उत्पाद शुल्क आयुक्त*[xxix], में सिद्धांत निर्धारण के साथ *यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन* का मामला में कोई मतभेद नहीं है। जब सीमा के संबंध में कानून द्वारा एक वैधानिक आदेश है और यह प्रावधान है कि देरी को साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए माफ नही किया जा सकता है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह सार्वजनिक नीति के कुछ रेखांकित, मौलिक, सामान्य मुद्दों पर आधारित है जैसा कि *यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन* (*उप्पर*) के मामले में माना गया है। जैसा कि *छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड*[xxx] *(उप्पर)* की घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक विशेष न्यायिक मंच के गठन पर जोर देने वाले अधिनियम के पीछे की नीति का उद्देश्य किसी व्यक्ति की शिकायतों का शीघ्रता से निर्णय लेना है। यह अधिनियम परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थ के अंतर्गत एक विशेष कानून है और इसलिए, सीमा के संबंध में नुस्खे को बाध्यकारी प्रभाव होना चाहिए और इसकी अनिवार्य प्रकृति के संबंध में इसका पालन किया जाना चाहिए। इसे अलग तरीके से कहें तो, वर्तमान प्रकृति के मामले में परिसीमा का निर्धारण, जब क़ानून आदेश देता है कि यह न्यायालय 60 दिनों से अधिक की देरी को माफ कर सकता है, तो यह प्रावधानों और नीति के व्यापक दायरे में आएगा। विधान। यह परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के समतुल्य है। इसलिए, यह अक्षम्य है और संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर इसे माफ नहीं किया जा सकता है।"

11.2 *टेरी ओट एस्टेट्स (पी.) लिमिटेड बनाम यू.टी. के मामले में चंडीगढ़,*[xxxi] (पैराग्राफ 36 और 37 में):

"36. हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि सहानुभूति या भावना अपने आप में उस संबंध में आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकती है, जिसके संबंध में अपीलकर्ता कानूनी अधिकार स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहते हैं। यह और भी घृणित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित एक असाधारण संवैधानिक क्षेत्राधिकार के बावजूद, यह न्यायालय आमतौर पर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जो वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होगा।

37. 1911 की शुरुआत में, फ़ारवेल, एल.जे. लैथम बनाम रिचर्ड जॉनसन एंड नेफ्यू लिमिटेड (1911–12) ऑल.ई.आर. 117 में कहा गया था: (ऑल.ई.आर. पृष्ठ 123 ई)

"हमें शिशु वादी के साथ अपनी सहानुभूति को अनुमति न देने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे फैसले प्रभावित न हो। भावना, कानूनी सिद्धांतों की खोज में मार्गदर्शक के रूप में लेने की एक खतरनाक इच्छा है।"

इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियाँ जो अपील को प्राथमिकता देने में 15 दिनों से अधिक की देरी को अक्षम्य मानते हैं, उसे अभ्यास में भी माफ नहीं किया जा सकता है।

12. कानून के पूर्वोक्त निर्धारित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति भी 30 दिनों की अवधि से परे लागू की गई थी और जैसा कि ऊपर देखा गया था, प्राथमिकता देने में 44 दिनों की देरी हुई थी। अपील जो 15 दिनों की अवधि से परे थी जिसे अधिकतम माफ किया जा सकता था और आईबी कोड की धारा 61(2) में निहित विशिष्ट वैधानिक प्रावधान को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एनसीएलएटी ने अपील को यह देखते हुए कि परिसीमा के आधार पर 15 दिनों से अधिक

की देरी को माफ करने का उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र और/या शक्ति नहीं है, ल खारिज करने में कोई त्रुटि की है।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान अपील विफल है और खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील खारिज

हिन्दी रुपातंरणकर्ता
(ऐश्वर्या दीवान)
प्रथम न्यायाधीश वर्ग–दो के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश,
बिलासपुर (छ0ग0)

i *(2018) 18 एस.सी.सी 575*

ii *(2020) 3 एस.सी.सी 328*

iii *(2021) 3 एस.सी.सी. 673*

iv *(2001) 8 एस.सी.सी 470*

v *(2020) 5 एस.सी.सी 757*

vi *(2013) 11 एस.स.सी 451*

vii *(2011) 14 एस.सी.सी 739*

viii *(2007) 2 एस.सी.सी 230*

ix *(2013) 10 एस.सी.सी 765*

x *ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 529*

xi *AIR 2017 SC 1352*

xii *(2002) 6 एस.सी.सी 635*

xiii *ए.आई.आर. 1950 एस.सी. 265*

xiv *(1983) 2 एस.सी.सी. 235*

xv *ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 661*

xvi *ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1128*

xvii *ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 529*

xviii *(1973) 1 एस.सी.सी. 442*

xix *(2009) 16 एस.सी.सी. 659*

xx *ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1633*

xxi *2000(7) एस.सी.सी. 521*

xxii *2003(3) एससीसी 541*

xxiii *2003(5) एससीसी 413*

xxiv *2003(2) एससीसी 577*

xxv *2003(1)एस.सी.सी. 123*

xxvi *2003(9)एस.सी.सी. 393*

xxvii *[एआईआर 1988 एससी 1895]*

xxviii *(एआईआर 1988 एससी 1531)*

xxix *ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 996*

xxx *(एआईआर 2010 एससी 2061)*

xxxi *(2004) 2 एससीसी 130,*